

# THE JHARKHAND GAZETTE EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY



15 FALGUN 1945 (S)

No. 130

RANCHI, TUESDAY 5<sup>th</sup> MARCH, 2024

### COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

-----

# NOTIFICATION

5<sup>th</sup> March, 2024

**Notification No.- 12/2023 – State Tax(Rate)** 

**S.O. No. 59, Dated 05<sup>th</sup> March, 2024--**In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Commercial Taxes Department, No. 11/2017-State Tax (Rate), dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 41, dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in the Table,

(i) against serial number 8, in column (3), in item (vi), after the condition in column (5) against the rate of 2.5 percent,the following condition shall be inserted, namely:-

"Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges state tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on

the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.

Illustration: 'A' engages 'B' for transport from New Delhi to Jaipur in a motor cab for Rs. 1000. 'B', for supplying the said service, hires a motor cab with operator from 'C' for Rs. 800. 'C' charges 'B' state tax at the rate of 6% (Rs. 48). If 'B' charges 'A' state tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by 'C' only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 48.";

(ii) against serial number 10, in column (3), in item (i), after the condition in column (5) against the rate of 2.5 percent, , the following condition shall be inserted, namely:-

"Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges state tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.

Illustration: 'A' engages 'B' for transport from New Delhi to Jaipur in a motor cab for Rs. 1000. 'B', for supplying the said service, hires a motor cab with operator from 'C' for Rs. 800. 'C' charges 'B' state tax at the rate of 6% (Rs. 48). If 'B' charges 'A' state tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by 'C' only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 48.";

- (iii) against serial number 34, -
- (a) in column (3), in item (iv), for the words "totalisator or a license to", the words "licensing a" shall be substituted;
  - (b)in column (3), item (v) and the entries relating thereto shall be omitted;
- (B) in the Annexure: Scheme of Classification of Services,-
  - (i) serial number 696 and the entries relating thereto shall be omitted;
  - (ii) serial number 698 and the entries relating thereto shall be omitted.
- 2. This notification shall be deemed to be effective from the 20<sup>th</sup> day of October, 2023.

[File. No. VaKar/GST/01/2023] By the order of the Governor of Jharkhand,

### Vipra Bhal,

Secretary, Commercial taxes Department.

Note: -The principal notification number 11/2017 -State Tax (Rate), dated the 29<sup>th</sup> June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 41, dated the 29<sup>th</sup> June, 2017 and was last amended vide notification number 06/2023- State Tax (Rate), dated the 16<sup>th</sup> October, 2023 published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 36, dated the 16<sup>th</sup> October, 2023.

# वाणिज्य-कर विभाग

# अधिसूचना संo. 12/2023- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं. 59, दिनांक 5 मार्च, 2024--झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस.ओ. सं. 41, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

## (क) तालिका में,

- (i) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (vi) में, कॉलम (5) में निर्धारित शर्त के बाद, कॉलम
- (4) में निर्धारित 2.5 प्रतिशत की दर के समक्ष, निम्नलिखित शर्त अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"बशर्ते कि जहां एक ही प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, उसी प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा पर देय/भुगतान योग्य कर जो की 2.5% की दर से अधिक है , उस इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा ।

उदाहरण: 'क' ने मोटर कैब में नई दिल्ली से जयपुर तक परिवहन के लिए 'ख' को 1000 रुपये में रखता है। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए 'ग' से चालक के साथ 800 रुपये में एक मोटर कैब किराए पर लेता है। 'ग' 6% (48 रुपये) की दर से 'ख' से राज्य कर लेता है। यदि 'ख' 2.5% की दर से 'क' से राज्य कर लेता है, तो वह 'ग' द्वारा एक ही प्रकार के व्यापार की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रु. का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा न कि 48 रु.";

- (ii) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, कॉलम (5) में निर्धारित शर्त के बाद, कॉलम
- (4) में निर्धारित 2.5 प्रतिशत की दर के समक्ष, निम्नलिखित शर्त अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"बशर्ते कि जहां एक ही प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, उसी प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा पर देय/भुगतान योग्य कर जो की 2.5% की दर से अधिक है, उस इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। उदाहरण: 'क' ने मोटर कैब में नई दिल्ली से जयपुर तक परिवहन के लिए 'ख' को 1000 रुपये में रखता है। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए 'ग' से चालक के साथ 800 रुपये में एक मोटर कैब किराए पर लेता है। 'ग' 6% (48 रुपये) की दर से 'ख' से राज्य कर लेता है। यदि 'ख' 2.5% की दर से 'क' से राज्य कर लेता है, तो वह 'ग' द्वारा एक ही प्रकार के व्यापार की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रु. का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा न कि 48 रु.";

- (iii) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iv) में, शब्दों "टोटलिसेटर या या ऐसे क्लब में बुकमेकर की अनुज्ञप्ति" के स्थान पर, शब्द " किसी क्लब में बुकमेकर की अनुज्ञप्तिद्वारा " प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (v) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ख) अनुबंध में: सेवाओं के वर्गीकरण की योजना,
- (i) कॉलम (1) में क्रम संख्या 696 और 698 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।
- 2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 से लागू मानी जाएगी। [सं.सं.वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/01/2023] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विप्रा भाल, सचिव, वाणिज्य-कर विभाग ।

नोट: मूल अधिसूचना को झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना संख्या 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस.ओ. सं. 41, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 06/2023- राज्य कर (दर), दिनांक 16 अक्टूबर, 2023, जिसे एस.ओ. सं. 36, दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

-----